कार्यालय कलेक्टर (नाजरात शाखा) जिला–बालाघाट(म.प्र.)

।।ज्ञान ।।

क्रमांक /3020/ जिला नाजिर / 20201 बालाघाट, दिनांक 09 / 04 03 / 2021

प्रति,

अपर संचालक,
विज्ञापन शाखा,
जन सम्पर्क संचालनालय
टैगोर मार्ग बाण गंगा
भोपाल।

विषयः–प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने बाबद्।

––00––

विषयांतर्गत के संबंध में लेख है, कि इस कार्यालय के अधीनस्थ 02 एवं 04 पहिया वाहन का ण्ण्ठेका स्टेण्ड संचाति करनें के लिए निविदा आमंत्रण सूचना–पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। कृपया बालाघाट जिले के किन्ही दो स्थानीय समाचार पत्रों में संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन कराने एवं प्रकाशित निविदा की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्धस कराने का कष्ट करेंगें।

सहपत्रः–विज्ञप्ति–3 प्रतियों मे

कलेक्टर एवं अध्यक्ष कलेक्टर
परिसर विकास समिति
बालाघाट(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (नाजरात शाखा) बालाघाट(म.प्र.)

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

क्रमांक/3021 /जिला नाजिर/2021 बालाघाट, दिनांक09/ 04 03/2021

कार्यालय कलेक्टर बालाघाट के अधीनस्थ .02 एवं 04 पहिया वाहन स्टेण्ड का ठेका हेतु सील बंद निविदा आंमत्रित की जाती है। ईच्छुक उम्मीदवार निविदा फार्म एवं शर्ते निविदा प्रकाशन दिनांक से 22.04.2021 तक कार्यालीन समय 10.30 से सांय 5.00 बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित होकर जिला नाजिर कलेक्टोरेट बालाघाट से प्राप्त कर सकते है। तथा दिनांक 23.04.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक सीलबंद निविदा आवेदन पत्र कार्यालय में पस्तुत कर सकते है। कार्यालय में प्राप्त निविदाये दिनांक 23.04.2021 को सांय 05.00 बजे निविदिाकर्ताओं अथवा उनके किसी एक प्रतिनिधि की उपसिथति में खोली जावेगी। वाहन स्टेण्ड की शर्ते तथा नीलामी की शर्तो का विस्तृत विवरण जिले की वेबसाईट WWW.balaghat.nic.in से भी प्राप्त कर सकते है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष कलेक्टर परिसर
विकास समिति

कार्यालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

02 पहिया वाहन एवं 04 पहिया वाहन स्टेण्ड ठेका की शर्तें

1. वाहन स्टैण्ड की शासकीय निर्धारित राशि रूपये 275,000/-(दो लाख पच्च्हत्तर हजार मात्र) से कम राशि पर ठेका स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. वाहन स्टेण्ड का ठेका निविदा स्वीकृत होने के दिनांक से एक वर्ष (365 दिन) के लिए वैद्य होगा।
3. सफल निविदाकार को स्वीकृत ठेके की राशि 02 किस्तों में जमा करना होगा। प्रथम किस्त ठेका स्वीकृति के 24 घंटे के अंदर जमा करना होगा तथा द्वितीय किस्त 6 माह पूर्ण होने के 15 दिन पहले जमा करना होगा।
4. अमानत राशि 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) का एक वर्ष की अवधि का एफ0डी0आर0 अध्यक्ष,एवं कलेक्टर परिसर विकास समिति बालाघाट के नाम से तैयार कर, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अस्वीकृत निविदाकारों की एफ.डी.आर. ठेका स्वीकृति के पश्चात वापस कर दिया जावेगा।
5. निविदा स्वीकृति उपरांत यदि निविदाकार ठेका लेने से इंकार करता है तो उसकी अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी वएं द्वितीय अधिकतम निविदाकार को ठेका स्वीकृत कर दिया जावेगा।
6. स्वीकृत निविदाकार को मोटर सायकल किराया दस रूपये, चार पहिया वाहन बीस रूपये किराया लेना होगा, जिसका टोकन भी देना होगा।
7. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लिया जावेगा। शिकायत प्राप्त होने पर निविदाकार पर ठेका समाप्ति संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
8. कार्यालय कलेक्टर भवन बालाघाट में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं विभिन्न कार्यालयों से आने वाले शासकीय अधिकारियों/चुतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे कर्मचारी/अधिकारी अपना परिचय पत्र अपने कार्यालय प्रमुख से बनाकर कलेक्टर परिसर में प्रवेश करेगें। इनको निविदाकार द्वारा एक वर्ष का पास दिया जायेगा।
9. जिला योजना समिति एवं अन्य महत्वपूर्ण आयोजित बैठकों में जनप्रतिनिधियों के आने पर उनसे कोई शुल्क नही लिया जावेगा।
10. अधिवक्तागणों से रियायती दर अर्थात दो पहिया वाहन के लिए 05 रू. एवं 04 पहिया वाहन के लिए 10 रू. के मान से शुल्क लिया जावेगा।
11. कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विद्यालयों से आने वाले छात्रा-छात्रों से कोई शुल्क नही लियो जावेगा।
12. वाहन स्टैण्ड कार्यालय कलेक्टर बालाघाट के परिसर के प्लाट नम्बर 365/2 में 20X100=2000 वर्गफुट (कलेक्टर परिसर से पी0डब्लू0डी0 रोड वारासिवनी मार्ग तक) पर ही लगाना होगा। निविदाकार को वाहन स्टैण्ड पर पृथक-पृथक किराया सूची का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा एवं नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा। वाहन

सुव्यवस्थित रूप से पार्किंग स्थल पर ही रखवाने की जिम्मेदारी एवं वाहन चोरी जाने पर ठेकेदार की सम्पूर्ण जवाबदारी होगी।

13. ठेकेदार कार्यालय परिसर में कोई व्यवसाय नहीं करेगा तथा वाहन स्टैण्ड का ठेका अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा, अन्यथा ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय निविदाकार को ठेका सौंपने की कार्यवाही की जावेगी।
14. वाहन स्टैण्ड पर ठेकेदार के द्वारा जो कर्मचारी रखे जावेंगे उनके नाम एवं पते मोबाईल नम्बर लिखित में देना होगा एवं कर्मचारियों को फोटो परिचय पत्र सहित प्रतिदिन उपस्थित होना होगा। परिचय–पत्र सचिव कलेक्टोरेट परिसर विकास समिति बालाघाट के द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।
15. निविदाकर्ता एवं वाहन स्टैण्ड में नियुक्त कर्मचारियों के चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. वाहन स्टैण्ड के लिए नियुक्त कर्मी के अवकाश अथवा अस्वस्थ होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था की जवाबदारी निविदाकर्ता/ठेकेदार की होगी।
17. निविदाकर्ता को वाहन स्टैण्ड ठेका पर लिये जाने हेतु आवेदन शुल्क राशि रू. 1,000/–(एक हजार) मात्र नगद अध्यक्ष कलेक्टोरेट परिसर विकास समिति (जिला नाजिर) बालाघाट के पास जमा कर, रशिद प्राप्त करना होगा।
18. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात ठेकेदार को जिला पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत अनुबंध–पत्र सम्पादित करना अनिर्वाय होगा।
19. ठेका स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, कलेक्टर परिसर विकास समिति बालाघाट का होगा। निविदा स्वीकृति उपरांत किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, कलेक्टार परिसर विकास समिति बालाघाट के पास सुरक्षित होगा ।
20. ठेका आवेदन पत्र के साथ एफ0डी0आर0 संलग्न कर बंद लिफॉफे में नियत समय तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15/04/2021 को शाम 5.00 बजे तक रहेगी।
22. दिनांक 23/04/2021 को दोपहर 2.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में निविदा कलेक्टोरेट परिसर विकास समिति (जिला नाजिर) बालाघाट के कक्ष कमांक 143 में सिल बंद पेटी में डाले जावेगे। प्राप्त निविदाएं दिनांक 23/04/2021 को ही सांय 5.00 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
कलेक्टोरेट परिसर विकास समिति
बालाघाट